

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश: जबलपुर

B/1150

// आदेश //

क्रमांक...../चार-12-05/23

जबलपुर, दिनांक **12**/02/2026

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 816/गोपनीय/2025 जबलपुर दिनांक 24-04-2025 के द्वारा निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 02 में दर्शित अधिकारी को प्रधान जिला न्यायाधीश के सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 199100-224100/- में निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित दिनांक से नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनका मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 2109/2018/21-ब(एक) दि० 28.04.2018 एवं क्र. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के अंतर्गत निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार वेतन निर्धारण किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिक एम्पलाई कोड	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति दिनांक के पूर्व चयनग्रेड वेतनामान 163030-219090/- (जे.-6) में प्राप्त वेतन व वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में आगामी वे०वृ० का दिनांक	सुपर समय वेतनमान रु० 199100-224100/- (जे.-7) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	स्व० श्री संजीव जैन, तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 280005971	188990/- 01.04.2021	20.04.2021	- (Expired on 09-05-2021)	199100/-	20.04.2021

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

B/1151

पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-12-05/23

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर/इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. रीडर टू रजिस्ट्रार(एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्रीमती चारु जैन पत्नि स्व० श्री संजीव जैन, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, बी-202, मोनार्क हाईट्स पिपल्याहाना, आई.डी.ए. स्कीम नम्बर 140, इन्दौर म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायब्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन


ओ०एस०डी०(लेखा)